GCMS No. 2025/68

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रेरित होकर आपस में समझौता कर लिया है अतः हस्ताक्षर वाद की परिधि विस्तार खारिज करने का निवेदन किया है
	पत्रावली का हस्ताक्षर सम्बन्ध का अवलोकन किया गया। वकील वादी व वादी हस्ताक्षर वाद अंतर्गत धारा 138 RTA को आगे चलाना नहीं चाहते व परिधि विस्तार खारिज कराना चाहते हैं अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 138 RTA परिधि विस्तार खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर अन्दर से कम है वाद तकमील पाया सम्बन्ध दफ्तर तेरक। फैसला सुना दिया

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी
जैसलमेर, जिला-जैसलमेर